International Journal of Applied Research 2018; 4(3): 507-509

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2018; 4(3): 507-509
www.allresearchjournal.com
Received: 21-01-2018
Accepted: 24-02-2018

Vandana Kumari
Research Scholar, B.R.A. University, Department of History, Muzaffarpur, Bihar, India

Correspondence
Vandana Kumari
Research Scholar, B.R.A. University, Department of History, Muzaffarpur, Bihar, India

भारतीय इतिहास में अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

Vandana Kumari

सारांश –
भारतीय इतिहास में अनुच्छेद 356 की भूमिका का आंकलन करने हेतु इस अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को आधार बनाया गया है। इस अध्ययन में राष्ट्रपति की केंद्रीय स्थिति का मूल्यांकन करने की दृष्टि से भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगाए गए राष्ट्रपति शासनों को आधार बनाया गया है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति शासन संबंधी दायित्व के निर्वहन में उत्पन्न होने वाली असफलताओं के परिणाम स्वरूप आपातकाल शब्द का प्रयोग हुआ है जिसके व्यापक अर्थ को समझने की दृष्टि से इस अध्ययन में राष्ट्रपति शासन संबंधी उपबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

मूल शब्द- अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरकारिया आयोग

प्रस्तावना -
भारतीय संविधान साधारण स्थितियों में संघात्मक सिद्धांतों का अनुसरण करता है पर संविधान निर्माताओं को इस बात का अनुमान था की जब राज्य में सुरक्षा संबंधी व्यवस्था खतरे में हो तब संघीय ढांचा परेशानी का कारण बन सकता है जिसके फलस्वरूप अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य मैं संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में आपात । प्रचलित भाषा में इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसे राज्य आपात भी कहा जाता रहा है
राष्ट्रपति शासन, किसी भी राज्य के संवैधानिक तंत्रों की विफलताओं का परिणाम है । भारतीय इतिहास में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग सैकड़ों बार हुआ है राष्ट्रपति शासन के केंद्र बिंदु राष्ट्रपति को संविधान में आपात संबंधी शक्तियों के अंतर्गत कुछ शक्तियां प्राप्त है जिसके अंतर्गत वह किसी राज्य में आपात की घोषणा इस आधार पर कर सकता है कि

1. राज्यों का शासन संविधान के उपबंधो के अनुसार नहीं चलाने की स्थिति में।

2. संघ के निर्देशों का राज्यों द्वारा अनुपालन न करने की स्थिति में।

सामान्यतः राष्ट्रपति शासन की अवधि 2 महीने की होती है परंतु विशेष परिस्थितियों में संसद द्वारा इसका विस्तार 6 माह तक के लिए कर दिया जाता है जिस की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक कर दी जाती है। [1]

अध्ययन के उद्देश्य -

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के ऐतिहासिक स्वरूप को समझना है जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 356 के निर्माण से लेकर वर्तमान स्थिति के संपूर्ण विश्लेषण को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 356 के प्रयोग की उपयोगिता को सिद्ध करने की दृष्टि से भारत में इसके प्रयोग की वास्तविक दशाओं का आंकलन भी किया जाना अति आवश्यक है अतः इस हेतु अध्ययन उद्देश्यों में अनुच्छेद 356 के प्रयोगों से भारतीय इतिहास में पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन भी सम्मिलित किया गया है

अध्ययन विधि -

अध्ययन विधि के अंतर्गत प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुच्छेद 356 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया है। अतः इस अध्ययन को आधार प्रदान करने की दृष्टि से भारतीय संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 356 से संबंधित प्रावधानों का तथ्यात्मक आकलन कर प्रस्तुतीकरण किया गया है।

अनुच्छेद 356 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि -

भारतीय लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने हेतु संविधान में कई तरह की व्यवस्था की गई है। जिनके अंतर्गत राज्यो में राष्ट्रपति शासन लगाना भी शामिल है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता अथवा राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक रूप से कार्य ना किए जाने की विषम परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है । यह अनुच्छेद संविधान में शामिल आपातकालीन उपबंधों में से एक है । जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन की प्रक्रियाओं तथा उपयुक्त दशाओं को सम्मिलित किया गया है।

अनुच्छेद 356 तथा इसके प्रयोग -

अनुच्छेद 356 का सर्वप्रथम प्रयोग पंजाब राज्य पर किया गया था जिसका मुख्य कारण कांग्रेस पार्टी में फूट की वजह रही जिसके परिणास्वरूप तारीख 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक पंजाब में संपूर्ण रुप से सत्ता, राष्ट्रपति के शासन पर ही निर्भर रही।

तालिका -1: भारतीय प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन

क्रम संख्या	प्रधानमंत्री	कार्यकाल	राष्ट्रपति शासन की आवृत्ति
1	जवाहरलाल नेहरू	15 अगस्त1947 - 27 मई1964	7
2	लाल बहादुर शास्त्री	9 June1964 - 11January 1966	2
3	इंदिरा गांधी	24 जनवरी 1966 -24 मार्च 1977 14 जनवरी 1980 -31अक्टूबर 1984	33 16
4	मोरारजी देसाई	24 मार्च 1977 - 28 जुलाई 1979	12
5	चौधरी चरण सिंह	28 जुलाई1979 -14जनवरी 1980	4
6	राजीव गांधी	31 October 1984 - 2 December 1989	6
7	वीपी सिंह	2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990	2

तालिका-1 में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने के परिणामों का मुख्य कारण है।अतः आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग बारंबार किया गया है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाओं में राष्ट्रपति शासन का प्रारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में अधिकतम 7 बार हुआ है। इनके अतिरिक्त अनुच्छेद 356 का सबसे अधिक बार प्रयोग तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन काल के समय किया गया। उनके 15 साल के कार्यकाल के दौरान रिकॉर्ड 49 बार देश के अलग-अलग क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 1966 से 1977 के बीच 33 बार राष्ट्रपति शासन तथा 1980 से 1984 के मध्य 16 बार देश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। [2]

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मोरारजी देसाई की तत्कालीन सरकार का गठन 24 मार्च 1977 में होने के पश्चात 30 अप्रैल 1977 को प्रधानमंत्री द्वारा 9 भारतीय राज्यों में एक साथ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। [3]

आंकड़ों के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि वर्ष 1979 से 1990 तक 12 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ है।

- अतः भारत के संविधान में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधानों का निर्वाह करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आवश्यक शर्तों को समझना भी बेहद कारगर सिद्ध होगा।
- उस परिस्थिति में, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफलता का प्रदर्शन करें।
- राज्य सरकार द्वारा अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में नाकाम रहने जैसी परिस्थितिया हो । [4]
- राज्यों में नागरिक सुरक्षा अथवा शांति व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन में नाकाम रहने तथा दंगे जैसी परिस्थितियों से निपटने में राज्य सरकारों के नाकाफी प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों में ।
- राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी द्वारा सरकार बनाने से इंकार किए जाने की दशा में।
- सत्तारूढ़ गठबंधन के टूट जाने अथवा बहुमत खो देने की दशा में।

भारत में ऐसी परिस्थितियों में राज्य की संपूर्ण सत्ता राष्ट्रपति पर केंद्रित रहती है जैसा कि संविधान में विदित है। [5]

निष्कर्ष-

प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण को समझने से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति शासन का इतिहास भारतीय संविधान में कई उतार-चढ़ाव से परिपूर्ण रहा है । जहां तरफ परिसंघीय प्रणाली की जीवंतता के तत्वों की समाप्ति ने वही दूसरी ओर राज्यों के आंतरिक सुरक्षा संबंधी पक्षों ने राष्ट्रपति शासन नामक इस संवैधानिक हथियार के उपयोग तथा दुरुपयोग जैसी परिस्थितियों में इसके संवैधानिक स्वरूप को परिवर्तित किया है।अतः यह कहा जा सकता है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जैसी विषम परिस्थितियों पर राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है जिनके दायित्व निर्वाहन तथा अधिकार क्षेत्रों में संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप संतुलन बना रहता है।

संदर्भ सूची –

1. Dwarka Prasad Saawle. Lok Prashasan (in Hindi) Atlantic Publishers & Distributors (P) Limited 2006;2:495-496. ISBN: 9788126906512, 8126906510
2. Shailendra Sengar. Bhartiya Shasan Avam Rajniti, Atlantic Publishers & Distributors (P) Limited, 2007, 213. ISBN:9788126907014, 8126907010
3. Sheelvant Singh. Samvidhan Evam Rajyvystha – Tata Mc Graw-Hill.ISBN: 978-0-07-0674974-0 2010, 16-18.
4. Sañcetanā. India: Mahīpasiṃha, 1986.
5. Syed Mohammed Sayeed. Bhāratīya rājanītika praṇālī. Maikamilana, 1978, 95.